

## सूचना

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण परिक्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट नीति-2016 के अन्तर्गत ग्रेटर नौएडा से जनित होने वाले सूखे कचरे के निपटान के लिए सूखा कचरा प्रसंस्करण करने वाली इकाईयों/कबाड़ियों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवेदक आवेदन फार्म के साथ आवश्यक प्रपत्र संलग्न करते हुए आवेदक, अपना आवेदन फार्म पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य), ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, टावर-1, 9वाँ तल, भूखण्ड सं0-1, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)-201310 पते पर भेज/जमा करा सकते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30.10.2024 है, जिसके उपरान्त कोई भी आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ग्रेटर नौएडा क्षेत्रान्तर्गत रिसाईकलर/कबाड़ियों द्वारा कचरा निस्तारण हेतु पंजीकरण  
आवेदन का प्रारूप/प्रपत्र

आवेदक का नाम.....

आवेदक के पिता/पति का नाम.....

कम्पनी का नाम—.....

आवेदक का पूर्ण पता, (जहां वर्तमान में निवास कर रहे हैं),.....

आवेदक का पूर्ण स्थाई पता .....

मोबाइल नं० .....

आवेदक का आधार सं० (प्रति संलग्न करें).....

इस तरह का कार्य करने का अनुभव (वर्षों में) .....

कचरा एकत्रित करने के बाद उसके निस्तारण हेतु किसे उपलब्ध कराते हैं (कचरा क्रय करने वाले व्यक्ति/इकाई का नाम, पता, मोबाइल-सं०) .....

क्रय किये जाने वाले कचरे का प्रकार (जिस कचरे उठान का कार्य करते हैं उस पर ✓ का निशान लगायें)

कागज

प्लास्टिक

गत्ता

धातु

कांच

अन्य .....

कचरा एकत्रित करने रखने वाले स्थान का विवरण .....

क्या एकत्रित किये गये कचरे को प्रतिदिन निस्तारण के लिए भेज दिया जाता है? (हाँ/नहीं)

मेरे द्वारा ऊपर दी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है, यदि इसमें किसी भी प्रकार की असत्यता पाई जाती है तो उसके लिए मैं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगा।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

## शपथ पत्र

मैं/ हम ..... पिता/पति का नाम .....

पता .....

शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करते हैं:-

1. यह कि मेरे/हमारे द्वारा पंजीयन राशी रू0 1000/- का डिमांड ड्राफ्ट (GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY, PAYABLE AT GREATER NOIDA) के रूप में जमा कराई जा चुकी है।
2. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में भरे गये सभी तथ्य सत्य हैं। यदि प्राधिकरण को किसी भी समय कोई भी तथ्य असत्य पाया जाता है तो प्राधिकरण मेरे/ हमारे विरुद्ध किसी भी कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।
3. यह कि प्राधिकरण को किसी भी समय मेरे/ हमारे खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है तो प्राधिकरण मेरा/ हमारा पंजीकरण निरस्त कर सकता है।
4. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में न तो किसी भी प्रकार का निर्माण एवं विध्वंस मलवा संग्रहित किया जायेगा और न ही उसका प्रबंधन किया जायेगा।
5. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी मृत/ जीवित पशु का उठान नहीं किया जायेगा।
6. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति के खतरनाक अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं प्रबंधन नहीं किया जायेगा।
7. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति के गीले अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं प्रबंधन नहीं किया जायेगा।
8. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा किसी भी दशा में कचरे को अनाधिकृत स्थलों पर नहीं फेंका जायेगा।
9. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा प्राधिकरण से समय-समय पर मिलने वाले निर्देशों का पालन करूँगा/करेंगे।
10. यह कि मेरे/ हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क (यूजर चार्ज) नहीं वसूला जायेगा।

सत्यापन: उक्त शपथ पत्र की धारा 1 से 10 तक मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सत्य एवं सही है तथा कुछ तथ्य छिपाया नहीं गया, ईश्वर मेरा साक्षी है।

शपथकर्ता

## नियम व शर्तें

1. आवेदनकर्ता शहर में उत्पन्न होने वाले सूखे कचरे के रूप में प्राप्त सामग्री को अलग- अलग कर अधिकृत ऐजेंसियों/कंपनियों/विक्रेताओं को बेचेगा।
  2. आवेदनकर्ता को इस कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
  3. आवेदनकर्ता को इस कार्य हेतु प्राधिकरण द्वारा कोई भूमि आदि नहीं उपलब्ध कराई जायेगी।
  4. आवेदनकर्ता को प्राधिकरण से अधिकृत होने के उपरान्त वह किसी को बाध्य नहीं करेगा कि किसी स्थान/ क्षेत्र विशेष से सिर्फ वही कचरा लेगा।
  5. चयनित व्यक्ति/संस्था प्राधिकरण क्षेत्र में किसी भी मृत/ जीवित पशु का उठान नहीं किया करेगा।
  6. चयनित व्यक्ति/संस्था प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति के खतरनाक अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं प्रबंधन नहीं करेगा।
  7. चयनित व्यक्ति/संस्था प्राधिकरण क्षेत्र में बिना अनुमति के गीले अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं प्रबंधन नहीं करेगा।
  8. चयनित व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी भी दशा में कचरे को अनाधिकृत स्थलों पर नहीं फेंका जायेगा।
  9. चयनित व्यक्ति/संस्था द्वारा प्राधिकरण से समय-समय पर मिलने वाले निर्देशों का पालन करना होगा।
  10. चयनित व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क (यूजर चार्ज) नहीं वसूला जायेगा।
  11. आवेदनकर्ता द्वारा जमा की गई पंजीकरण राशी एक वर्ष हेतु वैध होगी, अगले वर्ष कार्य किये जाने हेतु पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया करनी होगी।
  12. आवेदनकर्ता के खिलाफ कोर्ट में किसी प्रकार का वाद नहीं होना चाहिए।
- मैं उक्त समस्त नियम व शर्तों से सहमत हूँ एवं मेरे द्वारा इनका पालन किया जायेगा।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबंधक (स्वास्थ्य),  
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
टावर-1, 9वाँ तल, प्लॉट सं0-1,  
नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा  
जनपद गौतम बुद्धनगर (उ0प्र0)  
ई-मेल: health@gnida.in

महोदय,

मैं/हम ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में रिसाईकलर/कबाड़ी का कार्य किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र, पंजीकरण धनराशी के साथ प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं।

मैं/हम इस बात की घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि मरे द्वारा सभी नियम व शर्तों को भलीभाँति पढ़ लिया गया है तथा प्रस्ताव के साथ दी गई सभी जानकारी और कथन सत्य हैं, इसमें निहित कोई भी गलत व्याख्या मेरी/हमारी अयोग्यता का कारण बन सकती है।

मेरा/हमारा प्रस्ताव मेरे/हमारे पर बाध्यकारी है और अनुबंध से उत्पन्न संशोधनों के अधीन है। मैं/हम समझता/समझते हैं कि आप किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर/  
फर्म की मुहर